


राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(3) आप्रसआ/ओला0/2017/5353-72  
दिनांक 18-5-2017 के द्वारा राज्य के श्रीगंगानगर, जैसलमेर, करौली एवं जोधपुर के 57  
ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित  
कशतकारों के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों को कशतकारों द्वारा दिए गए विकल्प  
अनुरूप मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इस संबंध में  
निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:-अधिसूचना की प्रति

भवदीय,  
  
(हेमन्त कुमार गेरा)  
शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,  
सहकारिता विभाग,  
राज0 जयपुर।

एफ 1(3)आ0प्र0एवंसहा/ओला0/2017/5349-50  
जयपुर, दिनांक 18-5-17

प्रतिलिपि:-पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
उप-शासन सचिव